



फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी गोबर्धन सिंह विपक्षी नारासिंह

किस्म मुकदमा 212/2008 पत्रावली संख्या 34/24 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर सूचनाएं
	<p><u>21/6/24</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी भय प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 2 से 4 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना था। पत्रावली वास्ते बस 72 दिनांक 25/06/24 को पेश हो।</p>	
	<p><u>25/6/24</u></p> <p>शुलाय वार्ड, प्रतवादी उप. <u>बस 72</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>कालि</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>27/6/24</u> को पेश हो।</p>	
	<p>(SDO) मावली</p>	
	<p><u>27/06/24</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद आज स्वीकार किया जा चुका है। अतः मूल वाद स्वीकार हो जाने से अब इस अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 बजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फाइल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया गया।</p>	
		<p>सहायक कमिश्नर (SDO) मावली</p>